बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 27/6/19

सं०सं०–17/ए 3–01/2019 – 472(17) /**स्वा०**, सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली 2008 एवं (संशोधन) नियमावली 2013 के आलोक में सीनियर रेजिडेंट के टेन्योर पदों पर बाह्य सेवा के नीचे नामित चिकित्सक को निम्नांकित शर्तों के अधीन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के **औषधि विभाग** में निम्न प्रकार से नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है :–

औषधि विभाग					
क्र0	**नाम**	**आवेदन संख्या**	**श्रेणी**	**रोस्टर बिन्दु श्रेणी**	**नव पदस्थापन महाविद्यालय एवं अस्पताल**
पी0जी0ओ0					
1	डॉ0 शशांक कुमार सन्नी	CR201800794	अनारक्षित	अनारक्षित	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा

2. यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।

3. उपर्युक्त चिकित्सक को वेतनमान लेवेल–9 अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा।

4. बाह्य चिकित्सक टेन्योर समाप्ति के पश्चात् उस टेन्योर पद अथवा किसी अन्य पद पर लागतार बने रहने का दावा नहीं कर सकेंगे।

5. नव नियुक्त सीनियर रेजिडेंट को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नव पदस्थापित स्थान पर अधिकतम् 15 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। योगदान के समय वांछित प्रमाण–पत्र यथा क्रीमीलेयर प्रमाण–पत्र/मूल विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र अपने संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक को समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. योगदान के समय संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट द्वारा समर्पित वांछित प्रमाण–पत्र यथा क्रिमिलेयर प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र को जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा। विसंगति पाये जाने पर पूर्ण विवरण सहित विभाग को सूचित करेंगे।

7. नये सीनियर रेजिडेंट के पदस्थापन के उपरान्त योगदान के पश्चात् संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक सबसे पुराने पदस्थापित सीनियर रेजिडेंट को आवश्यकतानुसार कार्य मुक्त कर देंगे। यदि किसी पुराने सीनियर रेजिडेन्ट के मामले में न्यायिक वाद चल रहा हो तो उस स्थिति में प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा विभाग से परामर्श प्राप्त कर ही अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–17/ए 3–01/2019 – 472(17) /**स्वा०** पटना, दिनांक :– 27/6/19

प्रतिलिपि :– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महालेखाकार(ले0एवंह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– ~~सभी~~ संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्राचार्य/अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर सचिव (कौशल किशोर) के आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–17/प्रशाखा पदाधिकारी–01,02,08,09 17 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/06/19

सरकार के अवर सचिव।